(631)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.2(30)नविवि / 03 / 2016   जयपुर, दिनांकः– 7 OCT 2017

परिपत्र

विषयः– नगरीय क्षेत्रों के परिधि क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों मे प्रभावी मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान आबादी क्षेत्र के नियमन हेतु भूमि आरक्षण / आवंटन के संबंध में।

राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण / आवंटन के संबंध में दिनांक 07.09.2017 को परिपत्र जारी किया है जिसमें सिवाय चक भूमि पर बसे लोगों को राहत देने के उद्देश्य से निर्देश दिये गये है।

नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर निगम, नगर विकास न्यास, प्राधिकरण) के क्षेत्राधिकार में स्थित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार के आवास / आवासीय बस्तियॉ सिवायचक भूमि पर विद्यमान होने से उनके नियमन / आवंटन की मांग उठती रही है। इस प्रकार की भूमि या तो जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार में है या सम्बन्धित नगरीय निकाय को स्थानांतरिन्त हो चूकी है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि उपरोक्त क्षेत्र में सिवायचक भूमि पर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.17 तक बसी हुई बस्तियों / मकानो बाबत पट्टा देने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

इस संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत या तो जिला कलक्टर ग्राम पंचायत का भूमि सेट अपार्ट कर सकता है या संबंधित नगरीय निकाय ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्राधिकार की सिवायचक भूमि आवंटित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न कार्यवाही की जावेः–

1. प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में स्थित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजस्व गांवों में संबंधित तहसीलदार सिवायचक भूमि पर दिनांक 01.01.2017 तक आवास गृह बनाकर किये गये अतिकमणों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करेगें। सूची में खसरा नम्बर एवं अतिकमण कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हो, जिला कलक्टर को भिजवायेगें। परन्तु जो भूमि सिवायचक है एवं प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकाय के नाम है ऐसी भूमि की सूची संबंधित प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी।
2. दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशन कार्ड, मतदाता सूची, बिजली / पानी / टेलीफोन बिल इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज अवश्य संलग्न करावे जिससे यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.2017 से पूर्व निवास कर रहा है।
3. जिला कलक्टर / स्थानीय निकायों / प्राधिकरण / नगर विकास न्यास भूमि सेट अपार्ट करते समय यह ध्यान रखेगे कि जहॉ पर एक साथ बसावट हुई है उन भूमियों को ही आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट करेगें। छितराई आबादी बसावट को सेट अपार्ट करने में सावधानी रखेगें ताकि अनावश्यक भूमि सेट अपार्ट नही हो।

4. जिला कलक्टर/स्थानीय निकायों/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास भूमि रोट अपार्ट कर पंचायत को आवंटन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत को पाबन्द करेगें कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल इसमें से जो भी कम हो, से अधिक भूमि का पट्टा नही दिया जाये।
5. पट्टा प्रभावी मास्टर प्लान के अनुरूप ही दिया जावेगा।
6. इस प्रकार की भूमि बाबत संबंधित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश दिये जायेगें कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में पट्टा नही दिया जाये यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान है।

उक्त कम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्न श्रेणी की भूमि को छोड़ते हुए ही आबादी के विकास हेतु जिला कलक्टर/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा पट्टे दिये जाने बाबत ग्राम पंचायतों की दी जावे:–

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि।
2. किसी तालाब, नदी, नाला, नाडी के जलप्रवाह क्षेत्र में स्थित भूमि, ओरण व चरागाह भूमि।
3. विशिष्ठ नियमों के अन्तर्गत आरक्षित भूमि/प्रतिबंधित क्षेत्रों की भूमि।
4. इंडियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित मापदण्डों में स्थित राजकीय भूमि।
5. डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अधीन स्थित भूमि।
6. वन विभाग के अधीन स्थित भूमि।

इस पूरी प्रकिया की मॉनिटरिंग व समन्वय का कार्य संबंधित जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा व की गई कार्यवाही से अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को, जरिये अर्द्वशासकीय पत्र से अवगत कराया जाएगा।

4/10/17

(मुकेश शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव